

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

पत्रावली + 53
17

निर्णय दिनांक 10.10.17

रिपोर्ट पटवारी हल्का राजाखेडा द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29.9.17 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का राजाखेडा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल जयदीप सिंह पुत्र जितेंद्र कौम लक्ष्मी निवासी विहैय तहसील राजाखेडा ने आराजी ख0न0 224 किस्म 1/2 अक्षर रकवा 1.06 बाके ग्राम विहैय पर राजाखेडा की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित / अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का को अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्ध होता है।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 4.40 की 50 गुनी से शास्ति राशि 220 रूपये आरोपित की जाती है। भू0 अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी0आर0ए0 को मांग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

राशि 220 तहसीलदार

पत्रावली नं० 32 क्रम नं० 12

दिनांक 10/10/17

6/2/18

TRA

राजाखेडा

पत्रावली

तहसीलदार

राजाखेडा